न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक
26.03.2024

प्रकरण संख्या
123 / 2024

उनवान

1. महावीर पिता स्व0 सोहनदास बैरागी जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. रतनी पुत्री स्व0 सोहनदास बैरागी जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

कंचन पुत्री हरलाल दास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
कैलाश पुत्री हरलाल दास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
नन्दराम पिता हरलाल दास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
लादूदास पिता हरलाल दास जाति बैरागी आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
मनीष पुत्र लादूलाल वैष्णव जाति वैष्णव आयु वयस्क निवासी दान्थल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

विपक्षीगण

स्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी मुरली वैष्णव

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 13 / 05 / 2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी अधिकार की भूमि ग्राम दांथल पटवार हल्का दान्थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व ा भीलवाडा में स्थित है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः– आराजी संख्या 428 कुल किता कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। जो वर्तमान ास्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के पिता मोहनदास बैरागी के नाम पर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। र्थीगण के पिता सोहनदास पुत्र हरलाल दास का नाम पुराने रेकार्ड में दर्ज था। जिसे हाल ार्ड में मोहनदास पुत्र हरलाल दास बैरागी दर्ज कर दिया। जिसे दुरूस्त कराने की प्रार्थना ी गई है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नामान्तकरण की प्रमाणीत फोटोप्रति स्तुत की है। डाकघर बचत खाता पास बुक की फोटोप्रति, आय प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, ारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत दांथल द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटोप्रति, जमाबंदी सम्वत् 2069–2073 की फोटोप्रति संलग्न की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के नोटिस जारी किए गए। विपक्षीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एवं राजस्थान राज्य की ओर से पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए मोहनदास पुत्र हरलाल दास बैरागी के बजाय सोहनदास पुत्र हरलाल दास बैरागी नाम दुरूस्त कराने की प्रार्थना की है। विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में आपती प्रकट नही की है एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 ने भी प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में आपत्ति प्रकट नही कर सहमति प्रकट की है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

गया। उपयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। ग्राम दान्थल के आराजी नम्बर 428 किता 01 कुल रकबा 0.0253 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी सम्वत 2069–2073 में कंचन पुत्री ल दास हिस्सा 1/10, कैलाश पुत्री हरलाल दास हिस्सा 1/10, नन्दराम पुत्र हरलाल हिस्सा 1/10, मनीष पुत्र लादुलाल हिस्सा 1/10, मोहनदास पुत्र हरलाल दास हिस्सा 0, लादूदास पुत्र हरलाल दास हिस्सा 1/10 खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त ईन्द्राज ल दास पिता चतुर्भुज दास की विरासत में नामान्तकरण संख्या 1335 से नन्दराम, दास, लादूदास पिता हरलाल दास कंचन, कैलाश पुत्रिया हरलाल दास के नाम दर्ज की स्वीकृति तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 18.05.2005 को स्वीकृति प्रदान की गई जबकि ग्राम दांथल के नामान्तकरण संख्या 1224 में खातेदार हरलाल पिता चतुरभुज दास ी के फौत होने पर विरासत में सोहनदास पिता हरलालदास बैरागी वगैराह के नाम ग्राम त दांथल ने दिनांक 5.03.2004 से स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आधार पर ग्राम न के आराजी नम्बर 428 रकबा 02 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड में मोहनदास पिता लदास के बजाय सोहनदास पिता हरलालदास बैरागी संशोधन किया जाना न्यायोचित होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है अतः एवं

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण

–:आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया र ग्राम दान्थल पटवार हल्का दान्थल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र दान्थल तहसील व भीलवाडा के आराजी नम्बर 428 रकबा 02 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड में मोहनदास हरलालदास के बजाय सोहनदास पिता हरलालदास बैरागी संशोधन किया जाता है। लदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन का इन्द्राज किया जाकर ा रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया है।

आव्हादा निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा